दैनिक भास्कर रायपुर 07-08-2025

पाठ्य पुस्तक घोटाले में रिटायर्ड आईएएस मिंज के खिलाफ चार्जशीट पेश

क्राइम रिपोर्टर | रायपुर

पाठ्य पुस्तक निगम में 15 साल पहले हुए घोटाले में ईओडब्ल्यू ने रिटायर आईएएस जोसेफ मिंज के खिलाफ बुधवार को चार्जशीट पेश किया है।

एजेंसी का आरोप है कि तत्कालीन एमडी मिंज ने प्रिंटिंग प्रेस को 1.83 करोड़ रुपए की जगह 5.84 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। इस तरह प्रिंटिंग प्रेस को 3.62 करोड़ रुपए का लाभ पहुंचाया है। इसके लिए उन्हें मोटा कमीशन मिला है। इस मामले में पिछले सप्ताह तत्कालीन जीएम सुभाष मिश्रा, डिप्टी जीएम संजय पिल्ले, छत्तीसगढ़ पैकेजर्स प्रा.लि. नंद गुप्ता और प्रबोध प्रकाशन के मालिक युगबोध अग्रवाल के खिलाफ भी चार्जशीट पेश किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रबोध प्रकाशन को हिंदी और गणित विषय काड्र्स 8000-8000 सेट के लिए 3.82 करोड़ व छत्तीसगढ़ पैकेजर्स भिलाई को पर्यावरण 8000 काड्र्स सेट 2.04 करोड़ का भुगतान किया गया। जबकि दोनों को 1.83 करोड़ रुपए का भुगतान करना था। निगम में सभी की मिलीभगत से इस घोटले को अंजाम दिया गया है। पाठ्य पुस्तक निगम से कोई भी टेंडर जारी होने से पहले ही यह तय हो जाता कि वो किसे देना है। यही वजह है कि हर टेंडर में किसे कितना पैसा मिलेगा उसी के अनुसार ही बजट और रेट भी तय किया जाता था। चार्जशीट में इन सभी बातों का खुलासा किया गया है।